"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 457] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2013— आश्विन 9, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्र. F 5-5/ आठ-परि./2013. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ . — (1) ये नियम छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं . — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जो सेवा या पद में भर्ती करने के लिए शासन द्वारा सशक्त हो ;

(ख) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा ;

(ग) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;

(घ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(ड.) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5, पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-क्रीमि-लेयर);

(च) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसची ;

(छ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ज) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(झ) **"चयन समिति"** से अभिप्रेत है नियम 11 के उप–नियम (1) के अंतर्गत गठित समिति;

(ञ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगाः

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा, सीधी भर्ती से;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किया जायेगा, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगीं।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें**.– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु**– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 (छः) माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की अवधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/विधवा/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्त व्यक्ति आदि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट हमेशा की तरह मिलती रहेगी, किंतु उपरोक्त किसी एक या अधिक वर्ग के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा के लिए पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होनी चाहिए, जैसी कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) (क) **शुल्क** – अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **चयन/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती .– (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** – नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे–

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे;

(दो) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी आदेश के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती – (एक) सेवा में भर्ती के चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करें;

(दो) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा ;

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी ।

(3) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में, अपेक्षित अनुभव के साथ, उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) निःशक्त व्यक्तियों के लिये, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार पदों को आरक्षित रखा जायेगा ।

12. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) नियुक्ति प्राधिकारी, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) सूची, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार के कालम (5) में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार एवं मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है और उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें.–** (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा इसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/वेतनमान में आया हो और पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.–** (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) उक्त सूची तैयार करने के लिसे मापदण्ड, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता सह उपयुक्तता पर आधारित होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदो में वरिष्ठता के आधार पर रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण— ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.**— (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित पद पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) किसी कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिये तैयार की गई चयन सूची की वैधता, उसी कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक होगी::

परंन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, उसी कम में की जायेंगी जिस कम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची में आयें हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ईमिल लकड़ा, उप–सचिव,

अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिये)

स. क	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पुनरीक्षित वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	03	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300–34800	4300
2.	सहायक अधीक्षक	08	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300–34800	4200
3.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	04	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	2800
4.	वरिष्ठ अंकेक्षक	02	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	2800
5	सहायक ग्रेड–एक	22	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	2800
6	सहायक ग्रेड–दो	94	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	2400
7	अन्वेषक	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	2400
8	लेखापाल	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	2400
9	कनिष्ठ अंकेक्षक	04	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	2400
10	कम्प्यूटर ऑपरेटर (संगणक)	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	2200
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	52	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	2400
12	स्टेनो–टाईपिस्ट	04	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	1900
13	सहायक ग्रेड–तीन	151	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	1900
14	वाहन चालक	47	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200	1900

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)

स. क्र.	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक	03	–	100%		
2.	सहायक अधीक्षक	08	–	100%		
3	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	04	50%	50%		
4	वरिष्ठ अंकेक्षक	02	–	100%		
5	सहायक ग्रेड–एक	22		75% 25%	–	कुल पदो के 25% पद, ऐसे सहायक ग्रेड–दो से भरे जायेगे, जो स्नातक हों तथा जो ऐसे पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो,।
6	सहायक ग्रेड–दो	94	–	100%	–	
7	अन्वेषक	01	–	100%	–	
8	लेखापाल	01	–	100%	–	
9	कनिष्ठ अंकेक्षक	04	–	100%	–	
10	कम्प्यूटर ऑपरेटर (संगणक)	01	–	100%	–	
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	52	100%		–	
12	स्टेनो–टाईपिस्ट	04	100%		–	
13	सहायक ग्रेड–तीन	151	75%	25%	–	
14	वाहन चालक	47	100%			
	योगः–	394				

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिए)

लिपिक वर्गीय संवर्ग—

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हता	समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/ संस्था/ शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :– (क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए–** हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) (ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए–** अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) (ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए –** उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) का पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) ।"	1. अपर परिवहन आयुक्त – अध्यक्ष 2. संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त – सदस्य 3. उप संचालक, वित्त/सहायक परिवहन आयुक्त – सदस्य सचिव
2.	स्टेनो टाइपिस्ट	...तदैव..	...तदैव...	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)	

				(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) ।"	
3	सहायक ग्रेड–तीन	...तदैव..	...तदैव...	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र । (3) हिन्दी कम्प्यूटर टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) ।	
4.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	...तदैव..	...तदैव...	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, या 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) ।"	
5.	वाहन चालक	...तदैव..	...तदैव...	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, या 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा । (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध/स्थायी हल्के मोटरयान अनुज्ञप्ति,	

				(3)शारीरिक मापदण्ड-- .अभ्यर्थी चिकित्सीय रुप से स्वस्थ्य होना चाहिए, उसमें फ्लैट फुट, नॉक--नी, आंखों से संबंधित बीमारी नही होना चाहिए, आंख की दृष्टि 6/1 होनी चाहिए और मुख्य रंगों के बीच विभेद करने मे सक्षम होना चाहिए तथा कान (श्रवण) से संबंधित कोई दोष नही होना चाहिए । अभ्यर्थी के स्वास्थ्य (फिटनेस) के बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर होगा तथा यदि आवश्यक हो तो जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस संबंध में सलाह ले सकेगा ।	

अनुसूची—चार
(नियम 13 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति की पात्रता के लिये अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	5 वर्ष	1. परिवहन आयुक्त — अध्यक्ष 2. अपर परिवहन आयुक्त—सदस्य 3. संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त —सदस्य 4. उप—संचालक, वित्त/सहायक परिवहन आयुक्त — सदस्य सचिव	
2	सहायक ग्रेड—एक/ वरिष्ठ अंकेक्षक	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	..................तदैव.................	
3.	लेखापाल/ सहायक ग्रेड—दो/ कनिष्ठ अंकेक्षक	सहायक ग्रेड—एक/ वरिष्ठ अंकेक्षक	5 वर्ष	..................तदैव.................	कुल पदों के 25 प्रतिशत पद, सीमित विभागीय परीक्षा के द्वारा ऐसे सहायक ग्रेड—दो से भरे जायेंगे, जो स्नातक हों तथा जिसने ऐसे पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया हो ।
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	अन्वेषक	5 वर्ष	..................तदैव.................	
5.	सहायक ग्रेड—तीन	लेखापाल/ सहायक ग्रेड—दो/ कनिष्ठ अंकेक्षक	5 वर्ष	..................तदैव.................	लेखापाल, कनिष्ठ अंकेक्षक एवं वरिष्ठ अंकेक्षक के पद में पदोन्नति के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
6.	स्टेना टाइपिस्ट	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	..................तदैव.................	
7.	सहायक ग्रेड—तीन	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5 वर्ष	..................तदैव.................	इच्छुक सहायक ग्रेड—तीन से चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा
8.	चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड—तीन	5 वर्ष	..................तदैव...............	परिवहन आयुक्त कार्यालय और जिला परिवहन कार्यालय के सहायक ग्रेड—तीन के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत को, नियमित भृत्य द्वारा भरे जायेंगे।

Naya Raipur, the 30th September 2013

NOTIFICATION

No. F 5-5/VIII/Tr./2013 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport Service, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport Service Recruitment Rules, 2013.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the Service means such Authority who is empowered by the Government for the recruitment on the Service/Post;
   (b) "Examination" means the competitive examination held for recruitment conducted under rule 11;
   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes (Non-creamy-layer) of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5, XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
   (f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
   (i) "Selection Committee" means the Committee constituted under sub-rule (1) of Rule 11;
   (j) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.**- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.**- The service shall consist of the following persons, namely :-
   (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
   (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
   (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.** – The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**–(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointment Authority the exigencies of the service so require, with the prior concurrence of the General Administrative Department of the Government adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment on the basis of merit, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however, it shall be mandatory for the Appointing Authority to constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions issued, from time to time, under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.** – All the appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I)Age- (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 (ten) years as per the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (seven) years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fulfilling the conditions of the enrollment.

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 (six) months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage, Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

Note–(1) The candidates who are admitted to the examination /selection under the age concessions mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Women/ Widow/ Divorcee/Ex-serviceman/Persons with disabilities etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual. But in any case, the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience – The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in Schedule-III.

(III) Fees – (A) The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

(B) The Candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. Disqualification. – (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to be disqualified for selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.**– The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

11. **Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/ Interview (1) Direct recruitment by competitive examination-** The Appointing Authority shall constitute a selection committee consisting of three members –

(i) Competitive Examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority, may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the selection committee in accordance with orders issued by the Appointing Authority may, from time to time.

(2) Direct recruitment by Selection - (i) The Selection for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine;

(ii) The selection of candidates for the service shall be made by the Selection Committee;

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government, from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority, it is found that the sufficient number of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, with the requisite experience, is not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes.

(8) There shall be posts reserve for the persons with disabilities, in accordance with the directions issued by the General Administration Department of Government, from time to time.

12. **List of candidates selected by the Appointing Authority.-** (1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Appointing Authority may determine, and the list of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard but are declared by the Appointing Authority to be suitable for the appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, that the candidate is suitable for appointment to the service in all respect after such enquiry, as may be considered necessary.

(4) The list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Appointing Authority.

13. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in column (5) of Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at such intervals, ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government of Chhattisgarh, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. **Conditions of eligibility for promotion/transfer.** – (1) The committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year, had completed such number of years of the service, (whether officiating or substantive), in the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Method of Computation for eligibility for promotion - The calculation of the period of qualifying service on the 1st of January of the relevant year in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened shall be counted from the calendar year when the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder cadre/post of service/post and not from the date he has attained the pay-scale.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) Promotion shall be made in accordance with the reservation roaster prescribed by the Government for Promotion.

15. **Preparation of list of suitable candidates.-** (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list.

(2) The criteria for preparation of the said list shall be based on seniority subject to fitness as per the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The name of persons included in the list shall be based on seniority in service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961.

Explanation- The person, whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select list.-** (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be select list for promotion of the member of services from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV to the post mentioned in column (3) of said Schedule.

(2) The validity of the select list prepared for promotion in the calendar year shall be up to 31st December of that particular calendar year:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in the order in which their names appear in the select list in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Appointing Authority before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

EMIL LAKRA, Deputy Secretary.

SCHEDULE - I
(See Rule- 5)

S. No.	Name of the Post included in the Service	Number of posts	Classification	Revised Pay Band	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent	03	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4300
2.	Assistant Superintendent	08	Class Three Clerical Cadre	9300-34800	4200
3.	Stenographer Grade-III	04	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2800
4.	Senior Auditor	02	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2800
5.	Assistant Grade-I	22	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2800
6.	Assistant Grade-II	94	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2400
7.	Investigator	01	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2400
8.	Accountant	01	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2400
9.	Junior Auditor	04	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2400
10.	Computer Operator	01	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2200
11.	Data Entry Operator	52	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	2400
12.	Steno Typist	04	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	1900
13.	Assistant Grade-III	151	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	1900
14.	Driver	47	Class Three Clerical Cadre	5200-20200	1900

SCHEDULE –II
(See Rules 6)

S. No.	Name of the posts	Total number of posts	Percentage of posts to be filled in			Remarks:
			By direct recruitment [See rule 6(1)(a)]	By promotion [See rule 6(1)(b)]	By transfer [See rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Superintendent	03	-	100%		
2	Assistant Superintendent	08	-	100%		
3	Stenographer Grade-III	04	50%	50%		
4	Senior Auditor	02	-	100%		
5	Assistant Grade-I	22	-	75% 25%	-	Total posts of 25% shall be filled by such Assistant Grade-II, who are Graduate and have completed 5 years of service on such posts
6	Assistant Grade-II	94	-	100%	-	
7	Investigator	01	-	100%	-	
8	Accountant	01	-	100%	-	
9	Junior Auditor	04	-	100%	-	
10	Computer Operator	01	-	100%	-	
11	Data Entry Operator	52	100%		-	
12	Steno Typist	04	100%		-	
13	Assistant Grade-III	151	75%	25%	-	
14	Driver	47	100%	-	-	
	Total:	394				

SCHEDULE –III
(See Rule – 8)

Clerical Cadre-

S. No.	Name of Post	Minimum Age	Maximum Age	Prescribed Educational Qualification	Member of Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Stenographer	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) (Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	1.Additional Transport Commissioner-Chairman 2. Joint/Deputy Transport Commissioner-Member 3. Deputy Director, Finance/Assistant Transport Commissioner-Member-Secretary.
2	Steno-typist	......do....	.......do.....	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.	

				(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
3	Assistant Grade-III	....do......	......do.....	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
4	Data Entry Operator	.....do....	......do....	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).	
5	Driver	.......do...	.......do.....	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University,	

				OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) Valid/Permanent Light Motor Vehicle License issued by the Competent Authority. (3) Physical Measurement- Candidate should be medically fit, he should not have flat foot, knock-knee, disease related to eyes, should have vision of 6/1, should be able to distinguish between major colours and should not have defect related to ear. The Competent Authority will have discretion to decide about fitness of a candidate and may take advise from the District Chief Medical Officer in case of need.	

SCHEDULE –IV
(See Rule – 14)

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum service period of experience for eligibility of promotion	Name of member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Superintendent	Superintendent	5 years	1. Transport Commissioner – Chairman 2. Additional Transport Commissioner – Member 3. Joint/Deputy Transport Commissioner- Member 4. Deputy Director, Finance/Assistant Transport Commissioner- Member-Secretary.	
2.	Assistant Grade-I/ Senior Auditor	Assistant Superintendent	5 years	.............do...........	
3	Accountant/ Assistant Grade-II/ Junior Auditor	Assistant Grade-I/ Senior Auditor	5 years	............do............	Total posts of 25% shall be filled by such Assistant Grade-II, who are Graduate and have completed 5 years of service on such posts by the Limited Departmental Examination.
4	Computer Operator	Investigator	5 years	...........do........	
5	Assistant Grade-III	Accountant/ Assistant Grade-II/ Junior Auditor	5 years	..........do........	Should have passed Accounts Examination for promotion of the post of Accountant, Junior Auditor and Senior Auditor.
6.	Steno Typist	Stenographer	5 years	..........do.........	
7.	Assistant Grade-III	Computer Operator	5 years	..........do........	By promotion through selection from willing Assistant Grade-III.
8.	Class-IV	Assistant Grade-III	5 years	..........do..........	25% of sanctioned posts of Assistant Grade –III in the Office of Transportation Commissioner and Office of District Transportation shall be filled by regular peon.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.